विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110 002

<u>विज्ञापन</u>

ऑनलाइन निवेदन अंतरापृष्ठ 30 जुलाई, 2011 से उपलब्ध रहेगा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ **राजीव गाँधी नेशनल फेलोशिप** स्कीम के अधीन वर्ष 2011-12 हेतु अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 2000 फ़ेलोशिप और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 667 फ़ेलोशिप अवार्ड किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। उक्त शोधवृत्ति भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में एम०फ़िल०/पी–एच०डी० उपाधि हेतु पूर्णकालिक अध्ययन जारी रखने के लिए दी जाएगी। यह फ़ेलोशिप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन्हीं उम्मीदवारों को प्रदान की जाएगी जिन्हें यू०जी०सी०–नेट अथवा यू०जी०सी०– सी०एस०आई०आर० नेट द्वारा जे०आर०एफ़० की सुविधा प्राप्त नहीं है।

चयन योग्यता (merit) के आधार पर किया जाएगा। योजना के दिशा निर्देश, शेधवृत्ति के विस्तृत नियम शर्तें, पात्रता, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 2000 फ़ेलोशिप और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 667 फ़ेलोशिप का राज्य वार वितरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइटः **www.ugc.ac.in** से प्राप्त किया जा सकता है।

निर्धारित प्रारूप में आवेदन केवल ऑनलाइन (online) माध्यम द्वारा वेबसाइट **www.ugc.ac.in/rgnf** पर लॉग–इन करके **<u>30 अगस्त 2011</u>** (आविस्तारित) तक जमा किये जा सकते हैं।

शोधवृत्ति अवार्ड किये जाने हेतु उम्मीदवारों के चयन संबंधित आयोग का फ़ैसला अंतिम एवं निर्णायक होगा।

<u>नोटः</u>

1. **केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदित किये गए आवेदनों पर विचार किया जायेगा और किसी भी परिस्थिति में काग़ज़ पर (hard copy) जमा किये गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें शोधवृत्ति अवार्ड किये जाने हेतु विचार में लाया जाएगा।**
2. **अचयनित उम्मीदवारों का रिकार्ड परिणाम घोशित होने की तिथि से तीन माह के बाद नष्ट कर दिया जाएगा।**

(डा० सी०एस० मीणा)
संयुक्त सचिव